



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234033  
CG-DL-E-10032022-234033

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]  
No. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 191(अ).—जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 और भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 के नियम 8 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों की सरकारों के परामर्श के पश्चात्, भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अंतिम परीक्षा) विनियमावली, 2007 में और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।  
(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।
- भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अंतिम परीक्षा) विनियमावली, 2007 में, दूसरी अनुसूची में-

- (क) प्रथम कॉलम में, शब्द “जम्मू और कश्मीर” और दूसरे कॉलम में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भाषाएं, “उर्दू, कश्मीरी अथवा डोगरी” का लोप किया जाएगा।
- (ख) दूसरे कॉलम में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष आने वाले शब्दों, “उर्दू अथवा गुजराती” के लिए शब्द “उर्दू, कश्मीरी, डोगरी अथवा गुजराती” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 14015/40/2021- अभासे (I)(16)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

**नोट:** मूल विनियम दिनांक 11 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 11041/1/2005- अभासे-III, के तहत अधिसूचित किए गए थे और दिनांक 11 अप्रैल, 2007 की साकानि(अ) संख्या 281 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022.

**G.S.R. 191(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) and rule 8 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government, after consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Probationers Final Examination), Regulations, 2007, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Probationers Final examination) Amendment Regulations, 2022.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the Indian Forest Service (Probationers Final Examination) Regulations, 2007, in the Second Schedule, -
  - (A) in first column, the words “Jammu & Kashmir” and the Regional Languages specified in the second column “Urdu, Kashmiri or Dogri” shall be omitted;
  - (B) in second column, for the words “Urdu or Gujarati”, occurring against Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories, the words “Urdu, Kashmiri, Dogri or Gujarati” shall be substituted.

[F. No.14015/40/2021-AIS(I)(16)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

**Note:-** The Principal Regulations were notified, *vide*, Notification number 11041/1/2005-AIS-III, dated the 11th April, 2007 and published, *vide*, GSR(E) No. 281, dated the 11th April, 2007.